राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

परिपत्र संख्याःडीजी– 35/ 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.:0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.:0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक- सितम्बर 03 ,2025

विषय--बीएनएसएस की धारा 35(3)के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस को भौतिक रूप से तामीला कराये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रिय, महोदय / महोदया

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी0बी0आई0 व अन्य में पारित निर्णय के क्रम में दिनांक 20.05.2025 को डीजी परिपत्र संख्या 05 / 2025 निर्गत करते हुए मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु आप लोगों को निर्देश दिये गये हैं।

2. Ministry of Home Affairs,BPR&D(Training Division) के पत्र दिनांकित 20.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से **मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो, और अन्य** में दिनांक 16.07.2025 को पारित आदेश में **बीएनएसएस की धारा 35(3) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस को सम्बन्धित व्यक्ति को भौतिक रूप से दिया जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे–व्हाट्सएप या ई–मेल के माध्यम से दी गयी नोटिस कानूनी रूप से वैध न होने** एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

3. उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय एवं BPR&D के प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है.–

- बीएनएसएस की धारा 35(1)(बी) के अनुसार 07 वर्ष से कम के अपराधों में विवेचक / जॉच अधिकारी द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जॉच में सहयोग किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस जारी करेगा।
- बीएनएसएस की धारा 35(3) के अन्तर्गत नोटिस का प्रारूप बीएनएसएस के द्वितीय अनुसूची प्रपत्र 1 में निर्धारित किया गया है, जिसका उपयोग सम्बन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- बीएनएसएस की धारा 35(3) के अन्तर्गत विवेचक / जॉच अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का तामीला भौतिक रूप से किया जायेगा।
- बीएनएसएस की धारा 35(3) के अन्तर्गत कोई भी जारी नोटिस वहाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तामीला नही किया जायेगा। यह न केवल मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा बल्कि मा0 न्यायालय की अवमानना मानी जायेगी।
- बीएनएसएस की धारा 35(3) के अन्तर्गत जारी नोटिस का सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पालन न करते हुए विवेचक / जॉच अधिकारी के समक्ष उपस्थित न होना मात्र ही गिरफ्तारी का आधार नही हो सकता है।

- विवेचक/जॉच अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी करते समय गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त एवं ठोस कारण दिखाने होगें। गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के लिंग, शारीरिक अशक्तता, वृद्वावस्था, मानसिक अस्वस्थता एवं असाध्य रोग तथा अन्य वास्तविक परिस्थितियां जिनकी वजह से पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित नही हो पा रहा है इसका ध्यान रखा जाए।

- गिरफ्तारी और नोटिस तामीला के सम्बन्ध में अरनेश कुमार बनाम स्टेट आफ बिहार (2014) 8 सीसी 273, अमनदीप सिंह जौहर बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य एवं अन्य डब्लू पी(सी)7608/2018, सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई, विविध आवेदन संख्या 1849/2021, एसएलपी(सीआरएल)संख्या:5191/2021 में पारित आदेश व डी० के० बसु बनाम पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में पारित निर्णयों के आदेश का भी पालन करें।

4. **बीएनएसएस की धारा 35 के अन्तर्गत तामीला कराये गये नोटिस एवं मा० न्यायालय द्वारा जारी ई-सम्मन की प्रकिया में अन्तर-**

बीएनएसएस की धारा 35(3) का नोटिस पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और जांच के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा इसे भौतिक रूप से तामीला किया जाता है, जिसमें सम्बधित व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के समक्ष किसी निर्दिष्ट स्थान एवं तिथि पर उपस्थित होना पड़ता है।

- ई-सम्मन एक न्यायिक प्रक्रिया है, जो अदालत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी की जाती है, जो अदालती कार्यवाही में उपस्थित होने को बाध्य करती है।
- तामीला किये गये नोटिस की भौतिक रूप सेबीएनएसएस की धारा 35 के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश का ई-सम्मन के मॉडल नियमों से हस्तक्षेप नही करते हैं।
- ई सम्मन की वैधानिकता एवं मा० उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का संशय न किया जाए।

5. उपरोक्त सन्दर्भ मे आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सभी वर्णित बिन्दुओं का एवं मा० न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का भली-भॉति अवलोकन कर लिया जाये तथा अपने अधीनस्थ नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों की एक गोष्ठी आहूत कर उन्हें इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

भवदीय

(राजीव कृष्णा)

1.समस्त पुलिस आयुक्त,
<u>उत्तर प्रदेश।</u>

2.समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज,
<u>उत्तर प्रदेश।</u>

<u>प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश

F. No78/C/2020/Trg(DC)PT3 (E-21407)
Ministry of Home Affairs
Bureau of Police Research & Development
(Training Division)

NH-48, Mahipalpur
New Delhi-37
Date: August 26nd, 2025

U.O. Note

SUB: Mandatory physical service of notice under section 35(3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 – reg.

Ref: Recent judgment of the Hon'ble Supreme Court in Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation & Anr. (2025 INSC 909), dated 16th July 2025.

2) Apropos the above-mentioned subject, the Hon'ble Supreme Court in Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation & Anr. (2025 INSC 909), dated 16th July 2025, has held that notices issued under section 35(3) must be served through physical means, and that service via electronic mode such as WhatsApp or email lacks legal validity.

2. Section 35 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, corresponds to the provisions of Sections 41 and 41A of the repealed Code of Criminal Procedure, 1973, and provides for issuance of notice by the police officer in cases falling within the ambit of Section 35(1)(b) BNSS [earlier Section 41(1)(b) CrPC], ensuring that the person concerned appears before the police officer and cooperates with the investigation.

3. States/UTs may consider issuing necessary orders to Investigating Officers mandating that:

i. Notice under Section 35(3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 shall be served **only through physical mode.**

ii. The Second Schedule of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 in Form I prescribes the **format of the notice under Section 35(3), which shall be used by the concerned police officer as and when needed.**

iii. **In no circumstances shall a notice under Section 35(3) of the BNSS, 2023 be served through WhatsApp or other electronic modes.** It will not only be in contravention of the Hon'ble Supreme Court order but may also lead to contempt of Court.

4. The intention is to prevent unnecessary and arbitrary arrests by the police. Therefore, emphasis must be laid on strict procedural compliance of the arrest process as prescribed under Section 35 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, and as held in various rulings of the courts. Arrests should not be ipso facto based on mere non-appearance by the accused in response to the notice

issued under Section 35(3). Instead, the Investigating Officer must demonstrate cogent reasons justifying arrest, and due consideration must be given to factors such as gender, infirmity, old age, mental illness, debilitating disease, or other genuine circumstances preventing appearance.

5. States may also refer to the following landmark judgments of the Hon'ble Supreme Court of India, which provide clear and binding guidelines on arrest and service of notice by the police:

i. *Arnesh Kumar v. State of Bihar*, (2014) 8 SCC 273
ii. *Amandeep Singh Johar v. State of NCT of Delhi & Anr.*, W.P. (C) 7608/2018
iii. *Satender Kumar Antil v. CBI*, Misc. Application No. 1849 of 2021 in SLP (Crl) No. 5191 of 2021

Serving of notices under section 35 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 versus issuance of e-summons by courts:

6. It is further clarified that the notice under Section 35 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, should not be confused with the issuance of e-summons. Section 35(3) Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 notice is issued by police officer and is to be physically served by the police officer during investigation, requiring the suspect to appear before the police officer or at a specified place. Whereas, e-summons is a judicial process issued by a court through electronic means compelling appearance in court proceedings. The directions given by the Hon'ble Supreme Court in the case of Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation & Anr. with respect to physical service of notices served under section 35 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 do not interfere with the model rules on e-summons. Hence, the validity of e-Summons in the backdrop of the recent judgement of the Hon'ble Supreme Court should not be doubted or questioned.

7. You are requested to take immediate steps to issue necessary orders and widely circulate within your respective jurisdictions and ensure corresponding training of police personnel at all levels on these matters.

Yours faithfully,

(Chhaya Sharma, IPS)
Director (Training)

Director General of Police/Head of the Police: All States/UTs